भारत सरकार

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या: 767

दिनांक 07 फरवरी, 2025 को पूछे जाने वाले प्रश्न का उत्तर

स्वास्थ्य देखभाल पर प्रति व्यक्ति व्यय

767. श्री दीपेन्द्र सिंह हुड्डा:

क्या **स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) सरकार द्वारा स्वास्थ्य देखभाल पर प्रति व्यक्ति व्यय के संदर्भ में वैश्विक स्तर की तुलना में भारत की स्थिति क्या है;

(ख) क्या सरकार के पास वित्तीय वर्ष 2024-25 और 2025-26 की योजनाओं सहित विगत दस वित्तीय वर्षों के दौरान प्रति व्यक्ति स्वास्थ्य देखभाल व्यय के संबंध में आंकड़े हैं;

(ग) यदि हां, तो वित्तीय वर्ष 2024-25 और 2025-26 की योजनाओं सहित विगत दस वित्तीय वर्षों का तत्संबंधी वर्षवार ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार ने देश में प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल संबंधी अवसंरचना में संवर्धन के लिए कोई कदम उठाए हैं/उठाने का प्रस्ताव है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री

(श्रीमती अनुप्रिया पटेल)

(क) वैश्विक स्वास्थ्य व्यय डेटाबेस (जीएचईडी) 2021 के अनुसार, भारत पीपीपी अंतराष्ट्रीय $ में प्रति व्यक्ति घरेलू सामान्य सरकारी स्वास्थ्य व्यय (जीजीएचई-डी) के मामले में 145वें स्थान पर है।

(ख) और (ग) : भारत के लिए उपलब्ध राष्ट्रीय स्वास्थ्य लेखा अनुमानों के अनुसार, भारत के प्रति व्यक्ति सरकारी स्वास्थ्य संबंधी व्यय (जीएचई) का ब्यौरा नीचे दिया गया है:

वित्तीय वर्ष	2013-14	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20	2020-21	2021-22
प्रति व्यक्ति सरकरी स्वास्थ्य संबंधी व्यय (रु.)	1,042	1,108	1,261	1,418	1,753	1,815	2,014	2,328	3,169

(घ) और (ङ): स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने ग्रामीण क्षेत्रों सहित सभी को सुलभ, किफायती और गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य परिचर्या सेवाएं प्रदान करने के लिए विभिन्न राष्ट्रीय योजनाएं और कार्यक्रम शुरू और कार्यान्वित किए हैं। इन प्रमुख योजनाओं/कार्यक्रमों से स्वास्थ्य सेवाओं का लाभ उठाने वालो के जेब से होने वाला व्यय कम हुआ है। देश में प्राथमिक स्वास्थ्य परिचर्या के बुनियादी ढांचे को संवर्धित करने के लिए लागू किए गए प्रमुख स्वास्थ्य कार्यक्रम निम्नलिखित हैं:

राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (एनएचएम): राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत, सरकार ने लोगों को सुलभ और किफायती स्वास्थ्य परिचर्या प्रदान करने में राज्य सरकारों की सहायता करके सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज की दिशा में अनेक कदम उठाए हैं। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में विशेष रूप से अल्पसेवित और उपेक्षित समूहों के लिए स्वास्थ्य अवसंरचना में सुधार करने, स्वास्थ्य सुविधा केंद्रों को चलाने के लिए पर्याप्त मानव संसाधनों की उपलब्धता, गुणवत्तायुक्त स्वास्थ्य परिचर्या की उपलब्धता और पहुंच में सुधार करने के लिए सहायता प्रदान की जाती है। अनिवार्य औषधों और नैदानिक सुविधाओं की उपलब्धता सुनिश्चित करने और जन स्वास्थ्य सुविधा केन्द्रों में आने वाले रोगियों की जेब से होने वाले व्यय को कम करने के लिए राष्ट्रीय निशुल्क औषध सेवा पहल और निःशुल्क नैदानिक सेवा शुरू की गई है।

आयुष्मान आरोग्य मंदिर: ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में मौजूदा उप-स्वास्थ्य केंद्रों (एसएचसी) और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों (पीएचसी) का कायाकल्प करके जनवरी 2025 तक कुल 1.76 लाख आयुष्मान आरोग्य मंदिर (एएएम) स्थापित और कार्यशील किए गए हैं। आयुष्मान आरोग्य मंदिरों का उद्देश्य प्रजनन और बाल परिचर्या सेवाओं, संचारी रोगों, गैर-संचारी रोगों और स्वास्थ्य संबंधी सभी मुद्दों को शामिल करते हुए सार्वभौमिक, निःशुल्क और समुदाय के निकट निवारक, प्रोत्साहक, उपचारात्मक, उपशामक और पुनर्वास सेनाओं सहित व्यापक प्राथमिक स्वास्थ्य परिचर्या सेवाओं की विस्तारित श्रृंखला प्रदान करना है।

प्रधान मंत्री आयुष्मान भारत स्वास्थ्य अवसंरचना मिशन: पीएम-एबीएचआईएम को प्राथमिक, मध्यम और विशिष्ट स्वास्थ्य परिचर्या प्रणालियों की क्षमताओं को विकसित करने; मौजूदा राष्ट्रीय संस्थानों को मजबूत करने और नई तथा उभरती बीमारियों का पता लगाने और उनके इलाज के लिए नए संस्थान खोलने के लिए एक मिशन के रूप में शुरु किया गया था। पीएम-एबीएचआईएम कुछ केंद्रीय क्षेत्र के कतिपय घटकों के साथ एक केंद्र प्रायोजित योजना है। इस योजना का कुल परिव्यय 64,180 करोड़ रुपये है।

15वां वित्त आयोग अनुदान: 15वें वित्त आयोग में ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में प्राथमिक स्वास्थ्य बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के लिए स्थानीय सरकार को 70,051 करोड़ रुपये के स्वास्थ्य अनुदान की सिफारिश की गई है।

*****